

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT**FORESTS DEPARTMENT****Notification**

The 10th December, 2004

No. S.O. 269/C.A. 53/1972/S. 26-A/2004.—Whereas, the area specified below comprises within the reserve forest;

And whereas the said area is considered by the State Government to be of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural and zoological significance, for the purpose of propagating and developing wild life and its environment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 26-A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Governor of Haryana hereby declares the area specified below to be a sanctuary, for the purpose of protecting, propagating and developing wild life and its environment from the date of issue of this notification in the Official Gazette :—

Specification

District	Tehsil	Name of Forest	Area in hectares	Boundaries
1	2	3	4	5
Panchkula	Panchkula	R-70 Khol-Hi Raitan	2226.58	North : DP No. 247 and DP No. 248 Burjtanda, Kotia Ambwala and Village Jallan. South: Village Naggal, Nandla and Asrewali protected forests. East :Muradwala Bhojmattor and Mandhana Villages, Protected forests C-104 and C-107. West : Gumthala, Ghaggar river, Chandimandir, Chowki and Village Nada.

Total area : 2226.58 hectare

L.S.M. SALINS,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana, Forests Department.

भाग-III

हरियाणा सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 दिसम्बर, 2004

संख्या का. आ. 269/के. अ. 53/1972/घा. 26-क/2004.—चूंकि, नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्र आरक्षित वन के भीतर समाविष्ट है; और चूंकि उक्त क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा वन्य प्राणी और इसके पर्यावरण के परिरक्षण, फैलाव और विकास के प्रयोजन के लिए, पारिस्थितिक, जीव जन्तु, वनस्पति, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक और जीव विज्ञान सम्बन्धी पर्याप्त महत्व का समझा जाता है; इसलिये, अब, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम 53), की धारा 26-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, वन्य प्राणी और इसके पर्यावरण के संरक्षण, फैलाव और विकास के प्रयोजन के लिये नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्र को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से अभयारण्य के रूप में घोषित करते हैं :—

विशिष्टि

जिला	तहसील	वन का नाम	हेक्टेयर में क्षेत्र	सीमाएं
1	2	3	4	5
पंचकूला	पंचकूला	आर-70 खोल ही रायतान	2226.58	उत्तर - डी. पी. नं. 247 व 248 तथा गांव बुर्जटाण्डा, कोटिया आम्बवाला व गांव जल्ला का रकबा दक्षिण - गांव नग्गल का रकबा और नांदला व आसरेवाली प्रोटेक्टिड फॉरेस्ट पूर्व - मुरादवाला, भोजमटोर माधना गांव का रकबा व प्रोटेक्टिड फॉरेस्ट का सी-104 व सी-107 पश्चिम - गुमथला, घग्गर नदी, चण्डीमन्दिर, चौकी और नाडा गांव का रकबा
कुल क्षेत्र			: 2226.58 हेक्टेयर	

एल. एस. एम. सालिन्स,
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।